केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110 001

फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 293/टीएल/2023 दिनांक: 14.3.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरटीएल) बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड के अधीन पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का कार्यक्षेत्र	क्षमता/किलोमीटर	कार्यान्वयन टाइमफ्रेम
1.	फतेहगढ़ – III पीएस (पूर्व) रामगढ़-II) पर 400 केवी बे का 1 नं.	400 केवी लाइन बे –1	20.9.2025
		कुल अनुमानित लागत :	**16.30 करोड़ रुपये**
2.	2x330 एमवीएआर, 765 केवी और 2x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर सहित फतेहगढ़–3 पर 3x1500 एमवीए 765/440 केवी एवं 3x500 एमवीए, 400/220 केवी पूलिंग स्टेशन की स्थापना (नया सेक्शन*) (सेक्शन 1 के राजस्थान एसईजेड फेज II के अधीन प्रस्तावित 4x500 एमवी आईसीटी के अतिरिक्त)	765/440 केवी 1500 एमवीए आईसीटी : 3 नं. (10x500) एमवीए, एक स्पेयर यूनिट सहित) 330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर–2 (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x110 एमवीएआर) 765 केवी आईसीटी बे –3 न. 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी–3 नं. 400 केवी आईसीटी बे 6 नं. 220 आईसीटी बे 3 नं. 765 केवी लाइन बे–2 नं. 765 केवी रिएक्टर बे–2 नं. 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर–2 नं. 420 केवी रिएक्टर बे–2 नं.	1.2.2025
		कुल अनुमानित लागत :	**435 करोड़ रुपये**
3.	दोनों स्तरों अर्थात फतेहगढ़ 3 पीएस में कार्यान्वयन सेक्शन के अधीन 400 केवी न्यू सेक्शन और 220 केवी न्यू सेक्शन के बीच बस सेक्शनलाइजर व्यवस्था तथा 220 केवी एवं 400 केवी बस के बस विस्तार सहित 400 केवी बे के 3 नं. और 220 केवी बे के 6 नं.	400 केवी लाइन बे–3 नं. 220 केवी लाइन बे–6 नं. 400 केवी बस सेक्शनलाइजर–1 नं. 220 केवी बस सेक्शनलाइजर–1 नं.	सारणी ए के अनुसार
		कुल अनुमानित लागत :	**2.30 करोड़ रुपये की आईडीसी सहित 82.45 करोड़ रुपये**
4.	फतेहगढ़–3 में 3x1500 एमवीए 765/440 केवी एवं 2x500 एमवीए, 400/220 केवी पूलिंग स्टेशन की वृद्धि (न्यू सेक्शन)	765/440 केवी 1500 एमवीए आईसीटी: 3 नं. 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी–2 नं. 765 केवी आईसीआई बे–3 नं. 400 केवी आईसीआई बे–5 नं. 220 केवी आईसीआई बे–2 नं.	सारणी बी के अनुसार
		कुल अनुमानित लागत :	**245 करोड़ रुपये**
5.	765/400/220 केवी फतेहगढ़-III पीएस के 400 केवी स्तर पर बस सेक्शनलाइजर का एक सेट (सेक्शन–2)	400 केवी बस सेक्शनलाइजर–1 सेट	1.1.2025
		कुल अनुमानित लागत :	**17.11 करोड़ रुपये**

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 27.9.2023 और 12.2.2024 के अपने पत्र के माध्यम से उक्त पैरा–1 में उल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण के निष्पादन के लिए पावरगिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 293/टीएल/2023 में दिनांक 13.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
4. पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid/.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **1.4.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **3.4.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव